न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं0 : 08 सन 2017

अनवान :–

1. आमीन 2 गुलाबनवी पि0 खैरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड न0 27 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

<u>सायलान</u>

बनाम

1. रेशमा पत्नी रोशन अली जाति कुम्हार निवासी वार्ड स0 28 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सलामूदीन पुत्र रोशनअली जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 28 नोहर तहसील नोहर।

गैरसायल

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट बाबत रास्ता स्वीकृत करने हेतु।

उपस्थित :– श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता सायलान
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैर सायल

निर्णय दिनांक :– 05/6/18

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने विरुद्व गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता स्वीकृति करने का इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 1 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 5/4 के प0न0 311/429(27) के किला न0 19/0.2530 ,20/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 ,कुल 1.0120हैक व प0न0 311/433(48) किला न0 13/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,23/0.2530 ,24/0.2530 , कुल 1.2650हैक कुल किता 9 की 2.2770हैक भूमि के सायलान खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 1 बीकेके के खाता संख्या 62/56 के प0न0 310/433(47) के किला न0 24/2 की 0.012हैक प0न0 311/433(48) के किला न0 21/0.2530 ,22/1 की 0.035हैक , कुल 0.300हैक भूमि गैरसायल न0 1 खातेदार काश्तकार है एवं प0न0 310/433(47) किला न0 25/1 की 0.057हैक प0न0 311/433(48) किला न0 22/2 की 0.218हैक 19/2 की 0.023हैक कुल 0.298हैक का गैरसायल न0 2 खातेदार काश्तकार है।

सायलान अपने खेत में जाने हेतु गैरसायल के खेत प0न0 311/433 के मु0न0 48 के किला न0 21 ,22 दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व की तरफ चल कर अपने खेत में प्रवेश करते है यदि सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक रास्ता है इसके अलावा सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 1 बीकेके के प0न0 311/433(48) के किला न0 21 , 22 के दक्षिणी दिशा में पश्चिम से पूर्व की तरफ 1–1 गठठा रास्ता स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायलान जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर जबाब पेश किया की

सायलान को साबित करना होगा की वह पूर्व में किला न0 21 , 22 में प्रवेश करने से पश्चिम से पूर्व जाने से पूर्व कौनसे स्वीकृत रास्ते से खेत में प्रवेश करता है जिस रास्ते का उपरोक्त प0न0 किला न0 में प्रवेश करना बताया है उसके पूर्व के काश्तकारों के नाम

व खेत का विवरण नही बताया है इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यहीन है जबाब पेश करने के पश्चात सायलान ने गैरसायलान के साथ राजीनामा किया जाकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 1बीकेके के प0न0 311/433(48) के किला न0 21 ,22 के उतरी सीव से पश्चिम से पूर्व की तरफ एक – एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर उसके बदले में भूमि गैरसायल सायलान को देगे राजीनामा शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की सायलान व गैरसायलान दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है व सायलान अपनी भूमि में जाने के लिये किला न0 21 ,22 जो गैरसायलान की खातेदारी भूमि है में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है जिसके सम्बध मे सायलान से गैरसायलान के साथ राजीनामा किया जाकर न्यायालय में पेश किया जा चुका है राजीनामा के अनुसार रास्ता स्वीकृत फरमावे।

वकील गैरसायलान के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायलान व गैरसायलान के राजीनामा के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार सायलान व गैरसायलान दोनो ही एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायलान अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये गैरसायलान की खातेदारी भूमि के किला न0 21 ,22 में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है जिसके सम्बध में सायलान व गैरसायलान ने राजीनामा किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया है कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये रास्ता पाने का अधिकारी है

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र आपसी सहमति एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 1बीकेके के प0न0 311/433(48) के किला न0 21 ,22 के उतरी सीव से पश्चिम से पूर्व की तरफ एक – एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायलान गैरसायलान को उनकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। इसी आश्य का आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज दिनांक 5/4/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

(सैयद शीराज अली जैदी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर